Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-12* *December 2025***

www.researchvidyapith.com **ISSN (Online): 3048-7331**

सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाः एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. सुरेन्द्र कुमार

स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, एल.एन.एम.यू. दरभंगा, बिहार

सारांश

सल्तनत काल (1206द1526 ई.) भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। इस काल में दिल्ली सल्तनत के शासकों– कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक ने शासन को संगठित और प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना की। सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः केन्द्रीयकृत थी, जिसमें सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था। उसकी सहायता के लिए वजीर, दीवान–ए–अर्ज, दीवान–ए–इंशा और दीवान–ए–रसालत जैसे विभाग कार्यरत थे।

प्रांतीय प्रशासन इक्ताओं के माध्यम से संचालित होता था, जहाँ इक्तादार को राजस्व संग्रह और सैन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती थी। स्थानीय स्तर पर अमीर, मुकद्दम और चौधरी प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते थे। न्याय व्यवस्था इस्लामी कानून (शरीयत) पर आधारित थी, जिसमें काजी और मुफ्ती महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से राज्य की शक्ति को सुदृढ़ किया। यद्यपि इस व्यवस्था में कई व्यावहारिक कठिनियाँ थीं, फिर भी सल्तनत कालीन प्रशासनिक प्रणाली ने भारतीय प्रशासनिक परंपरा को गहराई से प्रभावित किया और मुगल प्रशासन की नींव रखी।

मुख्य शब्द– किलेबंदी, दिल्ली सल्तनत, मजलिस–ए–सलवत, स्वर्णकाल, अश्वशाला, मजलिस–ए–खास।

परिचय–

इस लेख में हम दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। इस्लाम के अनुसार, शरीयत हर किसी और हर कानून से ऊपर है और यहां तक कि इमाम या खलीफा भी इसके अधीन है। इसी तरह, सभी मुस्लिम शासक इसके द्वारा शासित होते हैं और उन्हें इसके कानूनों का पालन करना होता है। इसलिए, एक मुस्लिम शासक का प्राथमिक कर्तव्य अपने प्रशासन में शरीयत के कानूनों का पालन करना है। दिल्ली के सुल्तान कोई अपवाद नहीं थे। वे किसी धर्म के मुखिया नहीं थे, बल्कि केवल अपने राज्य के मुखिया थे। लेकिन उनका प्राथमिक कर्तव्य राज्य के मामलों में शरीयत या इस्लामी कानूनों का पालन करना था। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने खलीफा को केवल नाम के लिए अपना अधिपति माना। उन्होंने अपने सिक्कों पर खुद को खलीफा का नायब कहा, लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वे सभी स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने खलीफा को अपना अधिपति इसलिए माना ताकि सुन्नी प्रजा और उलेमा को अपने पक्ष में कर सकें, जिनका मुस्लिम आबादी पर बड़ा धार्मिक प्रभाव था।[1] 1200 से 1526 के दौरान उत्तर भारत के विशाल भू–भाग पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान तथा उनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। ये शासन मूलतः तुर्क तथा अफगान मूल के थे। उन्होंने उत्तर भारत के मुख्य वंशों, मुख्यतः राजपूतों को हराकर अपनी सत्ता की स्थापना की।[2]

आक्रमणकारी तुर्क मुहम्मद गोरी ने प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान को सत्ता से अलग कर दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया था। इन सुल्तानों ने सन 1200 से 1526 तक लगभग 300 वर्षों से अधिक शासन किया। सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को सन 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने पराजित कर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। इन 300 वर्षों की कालावधि में पांच विभिन्न वंशों ने दिल्ली पर शासन किया

था। ये थे, गुलाम वंश के नाम से मशहूर श्मामलुकश (1206 से 1290 ई.), खिलजी वंश (सन 1290 से 1320), तुगलक वंश (सन 1320 से 1412), सैय्यद वश (सन 1412 से 1451) तथा लोधी वंश (1452 से 1526) इन सभी वंशों का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है।[3]

दिल्ली सल्तनत का विस्तार–

13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरसिनो अर्थात (रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों) के निवास के लिए बनी मजबूत किलेबंदी शहरों से अलग शायद ही फैला हो। शहरों से मिले हुए लेकिन उनसे दूर भीतरी, प्रदेशों में उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, व सामान आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार आदि पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर भारत को पार कर अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंची। अलाउद्दीन ने क्षेत्रीय विस्तार अभियान की शुरुआत गुजरात के खिलाफ की। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार के साथ–साथ गुजरात की विशाल संपदा के प्रति भी आकर्षित था।[5]

गुजरात की दौलत से उसके आगामी अभियानों में मदद होती तथा उसके समुद्री तट से उसकी सेना के लिए अरबी घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती। सन 1299 में अलाउद्दीन के वो प्रमुख सेनापतियों उलुगखान तथा नुसरत खान ने गुजरात की ओर रुख किया। गुजरात का शासक जान बचाकर भाग गया तथा सोमनाथ मंदिर जीत लिया गया। विशाल मात्रा में लूट का माल इकट्ठा किया गया। यहां तक कि सम्पन्न मुस्लिम व्यापारी भी नहीं बख्शे गए। कई गुलाम बंदी बनाए गए। उनमें से एक मलिक काफूर था, जो बाद में जाकर खिलजी सेना का मुख्य सेनापति बना तथा उसने दक्षिण अभियानों का संचालन किया। गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा था।[6]

दिल्ली सल्तनत का प्रशासन

दिल्ली सल्तनत का प्रशासन अरबी–फारसी पद्धति पर आधारित थी। इस प्रशासन का केन्द्र बिन्दु राजा या सुल्तान था। यह सुल्तान खुदा के नाम पर शासन करता था। जबकि वास्तविक सत्ता सुन्नी मातृत्व भासना अथवा मिल्लत में निहित थी। चूंकि मुस्लिम शासन पद्धति धार्मिक पुस्तक कुरान पर आधारित थी और मुस्लिम जगत में पैगम्बर के बाद खलीफा ही सर्वोच्च धार्मिक व्यक्ति रह गया था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासकों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया। और उनसे खिल्लत प्राप्त करने की कोशिश की। केवल अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी ने किसी भी प्रकार से खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा कहा। पहले खलीफा की सत्ता का केन्द्र बिन्दु बगदाद था। परन्तु बाद में यह मिस्र में स्थानान्तरित हो गया। तैमूरलंग ने 14वीं शताब्दी में खलीफा की सत्ता को ही समाप्त कर दिया। सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए दो प्रमुख अधिकारी वजीर एवं अमीर होते थे।[7]

वजीर

दिल्ली सल्तनत के समय वजारत का स्वर्णकाल तुगलकों के समय विशेषकर फिरोज तुगलक के समय माना जाता है। उसके वजीर का नाम खाने जहाँ मकबूल था। जबकि इल्तुतमिश के वजीर का नाम मुहम्मद खाँ जुनेंदी था। वजारत का निम्नकाल बलबन के समय माना जाता है।

अमीर

अमीरों का स्वर्ण काल लोदियों के समय माना जाता है क्योकि लोदी शासकों के अपने अफगान अमीरों से सम्बन्ध भाई चारे पर आधारित थे। अमीरों का निम्नकाल बलबन और अलाउद्दीन के समय माना जाता है।[8]

मंत्री परिषद

सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस–ए–खलवत्त कहा जाता था।

मजलिस–ए–खास

मजलिस–ए–सलवत की बैठक जिस स्थान पर होती थी उसे मजलिस–ए–खास कहा जाता था। यहीं पर खास लोगों को ही बुलाया जाता था।

बार–ए–आजम

यही पर सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। यहाँ पर उसकी सहायता के लिए विद्वान, काजी मुल्ला आदि भी उपस्थित रहते थे।

बार–ए–खास

यहीं सुल्तान अपने प्रमुख सहयोगियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा करता था।

मंत्री परिषद या मजलिस–ए–खलवत में चार विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण थे–

1. दीवान–ए–विजारतः यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। यह आर्थिक मंत्रालय की तरह था।

2. दीवान–ए–अर्जरू यह सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी।

3. दीवाने–ए–रसालतरू यह विदेश विभाग था।

4. दीवाने–ए–इशारू यह पत्राचार विभाग था। फिरोज तुगलक के समय में इसका स्तर गिर गया था। मुल्तान के गर्वनर एलुल मुल्क मुल्तानों ने अपने पत्रों इंशा–ए–माहरु में शिकायत की है कि लोग अपनी शिकायते सीधे उसके पास न लाकर मौलवियों के पास ले जाते हैं। और ये मौलवी मुझासे जबाव मांगते हैं।[9]

दीवाने–ए–वजारत

यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसका प्रमुख वजीर अथवा प्रधानमंत्री होता था। दीवाने वजारत से कई विभाग जुड़े हुए थे जिसका वर्णन निम्नलिखित है।

1. दीवान–ए–इशराफः यह लेखा परीक्षक विभाग था।

2. दीवान–ए–इमारतः यह लोक निर्माण विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की।

3. दीवान–ए–अमीर कोडीः कृषि विभाग, मुहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित।

4. दीवान–ए–वकूफः व्यय की कागजात की देखभाल करना।

5. दीवान–ए–मुस्तखराजरू अधिकारियों के नाम बकाया राशि को वसूल करने वाला विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।10

राजदरबार से सम्बन्धित अधिकारी

1. वकील–ए–दररू यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था।

2. बारबरः यह दरबार की शान शौकत एवं रस्मों की देखभाल करता था।

3. अमीर–ए–हाजिनः सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जाँच पड़ताल करता था। इसे दरबारी शिष्टाचार का अधिकारी भी कहा जाता था।

4. सर–ए–जादारः सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान अधिकारी।

5. अमीर–ए–मजलिशः शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबन्ध करने वाला प्रमुख अधिकारी।

6. अमीर–ए–शिकारः सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करने वाला।

7. अमीर–ए–आखुरः अश्वशाला का प्रमुख।

8. शहना–ए–पीलः हरित सेना का प्रमुख।

शहना–ए–पील

हस्तिः सेना का प्रमुख

प्रान्तीय प्रशासन

केन्द्र–प्रान्त (इक्ता)

शिक–परगना–ग्राम प्रान्तों को इक्ता या अक्ता कहा जाता था। भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की।

इक्ता की परिभाषा निजामुलमुल्क की पुस्तक सियासत नाम में मिलता है। इक्ता इजारेदारी के लिये दिया गया भू–राजस्व क्षेत्र था जो सैनिक या असैनिक किसी को भी दिया जा सकता था। दिल्ली सुल्तानों में सबसे अधिक इक्ता मुहम्मद तुगलक के समय में थे। इक्ता के प्रमुख को इक्तादार या मुक्ता या वली कहा जाता था।[11]

जिला (शिक)

बलबन के समय में इक्ता को जिले अथवा शिकों में विभाजित किया गया शिकों के प्रमुख को शिकदार कहा जाता था।

परगना

जिले (परगनों) तहसील में विभाजित थे। यहाँ आमिल अथवा नजीम प्रमुख अधिकारी था। इसकी सहायता खजीन मुश्तशरिरफ् आदि लोग करते थे।

ग्राम

ग्राम के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था जबकि गाँव के जमीदारों को खूत कहा जाता था। साधारण किसानों को बलाहार कहा जाता था।

सैन्य संगठन

दिल्ली की केन्द्रीय सेना को हश्न ए वल्ब कहा जाता था जबकि प्रान्तीय सेना को हश्म–ए–अतरफ कहा जाता था। शाही घुड़सवार सेना को सवार ए–कल्ब कहते थे। प्रान्तीय घुड़सवार सेना को सवार–ए–अतरफ कहते थे। सल्तनत कालीन सेना में तुर्क अमीर, ईरानी मंगोल, अफगानी एवं भारतीय मुसलमान सम्मिलित थे।12

खास–खेल

सल्तनत की स्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। पहली बार सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के समय में हुयी। इसका नाम दीवार–ए–अर्ज था तथा इसका प्रमुख प्रमुख आरिज–ए–मुमालिक होता था परन्तु पहली बार स्थायी सेना अथवा खड़ी सेना अलाउद्दीन के समय में गठित की गयी। उसने सैनिकों की हुलिया एवं घोड़ों को दागने की प्रथा की भी शुरूआत की।

सेना का आधार

सेना का संगठन मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर किया गया था। सर्वप्रथम इस प्रणाली के आधार पर अलाउद्दीन ने अपनी सेना संगठित की। मुहम्मद तुगलक ने आदर्श रूप में दशमलव प्रणाली के आधार पर अपनी सेना गठित की।

भूमि के प्रकार

1. श्इक्ता की भूमिः– इस भूमि का मालिक इक्तादार था, मुक्ता कहलाता था। बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी जो मुक्ता एवं बली के कार्यों की देखभाल करता था।
2. खालसा की भूमिः यह सीधे केन्द्र के नियन्त्रण में होती थी। यहाँ का भू–राजसव आमिल वसूलता था।
3. उर्सी भूमिः इस भूमि के मालिक तुर्की मुसलमान होते थे।
4. इनाम व वक्फ की भूमिः यह कर मुक्त भूमि होती थी इस पर वंशानुगत अधिकार भी होता था। लगान व्यवस्था[13]

सल्तनत काल में लगान व्यवस्था के लिए किस्मत ए गल्ला, गल्ला बक्शी, बटाई आदि शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। यह लगान निर्धारण की ऐसी प्रणाली थी जिसमें राज्य की ओर से प्रत्यक्ष रूप से जमीन की पैदावार से हिस्सा ले लिया जाता था। सल्तनत काल में निम्नलिखित पाँच प्रकार की बटाई की व्यवस्था प्रचलित थी।

1. खेत बटाईः खड़ी फसल या बुआई के बाद ही खेत को बांटकर कर निर्धारण करना।
2. लंक बटाईः खेत काटने के बाद खलियान में लाये गये अनाज से बिना भूसा निकाले कृषक एवं सरकार के बीच बंटवारा।
3. राशि बटाईः खलिहान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद उसका बंटवारा।
4. मसाहतः भूमि के माप के आधार पर लगान निश्चित करने को मसाहत कहा गया। इस प्रणाली की शुरूआत अलाउद्दीन खिलजी ने की।
5. मुक्ताईः यह कर निर्धारण (लगान) की मिश्रित प्रणाली थी। इसमें कर ठेकेदार पर लगाया जाता था और ठेकेदार किसानों पर कर लगाता था।14

निष्कर्ष–

सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासन, सत्ता–संरचना और प्रशासनिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण रही। यह व्यवस्था केवल विदेशी शासकों की सत्ता का साधन नहीं थी, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित एक संगठित प्रशासनिक तंत्र थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने राजनीतिक स्थिरता, राजस्व संग्रह, न्याय व्यवस्था तथा सैन्य संगठन के लिए प्रभावी प्रशासनिक ढाँचा निर्मित किया, जिसने आगे चलकर मुगल प्रशासन की नींव रखी।

सल्तनत प्रशासन की केंद्रीय विशेषता सुल्तान की सर्वोच्च सत्ता थी। सुल्तान को राज्य का प्रधान, न्याय का स्रोत तथा सेना का प्रमुख माना जाता था। वजीर, दीवान–ए–रिसालत, दीवान–ए–इंशा और दीवान–ए–अर्ज जैसे विभागों के माध्यम से शासन कार्यों का विभाजन किया गया, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि हुई।

प्रांतीय स्तर पर इक्ता प्रणाली ने सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, यद्यपि इसमें भ्रष्टाचार और स्वायत्तता की प्रवृत्तियाँ भी देखने को मिलती हैं।

राजस्व व्यवस्था सल्तनत प्रशासन का आधार थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि माप, कर निर्धारण और बाजार नियंत्रण नीतियाँ राज्य की आय बढ़ाने और सैन्य शक्ति सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुईं। न्याय व्यवस्था में इस्लामी कानून के साथ–साथ स्थानीय परंपराओं का भी समन्वय दिखाई देता है, जिससे प्रशासन को व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता मिली।

हालाँकि सल्तनत कालीन प्रशासन पूर्णतः आदर्श नहीं था। उत्तराधिकार संघर्ष, प्रांतीय विद्रोह और व्यक्तिगत शासकों की क्षमता पर अत्यधिक निर्भरता इसकी प्रमुख कमजोरियाँ थीं। इसके बावजूद, इस प्रशासनिक व्यवस्था ने भारत में केंद्रीकृत शासन, संगठित नौकरशाही और नियमित राजस्व प्रणाली की परंपरा स्थापित की। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक सशक्त, प्रयोगात्मक और दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली व्यवस्था रही, जिसने बाद की राजनीतिक संरचनाओं को गहराई से प्रभावित किया।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची–

1. इमत्याज अहमदः मध्यकालीन भारत, पृ० 122
2. एल०पी० शर्मा मध्यकालीन भारत, पृ० 320
3. सैय्यद अत्तर अब्बास रिजवी आदि तुर्ककालीन भारत, पृ० 69
4. यू०एन० डेः द गवर्नमेन्ट ऑफ द सल्तनत (1972), पृ० 112–115
5. हरिश्चन्द्र वर्मा मध्यकालीन भारत, भाग–1, पृ० 337–347
6. अतहर अब्बास रिजवी आदि तुर्ककालीन भारत, पृ० 9–169
7. डॉ० ए०बी०एम० हबीबुल्ला दि फाउण्डेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, (1971), पृ० 169
8. Alam, M. (1998), मुगल उत्तर भारत में साम्राज्य का संकट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. Chandra, S, (2007), मध्यकालीन भारतः सल्तनत से मुगलों तक (1206–1526)। हर–आनंद पब्लिकेशन्स।
10. Habib, I. (1999), मुगल भारत की कृषि व्यवस्था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. श्रंबोवद, च. (1999), दिल्ली सल्तनतरू एक राजनीतिक एवं सैन्य इतिहास। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
12. Lal, K. S. (2001), खिलजी वंश का इतिहास (1290–1320)। किताब महल।
13. Mahajan, V. D. (2015), मध्यकालीन भारत का इतिहास। एस. चाँद एंड कंपनी।
14. Nizami, K. A. (1961), तेरहवीं शताब्दी के दौरान भारत में धर्म और राजनीति के कुछ पक्ष। एशिया पब्लिशिंग हाउस।

Cite this Article

'Surendra Kumar; Dr. Akhil Yadu" Mapping the Dark Side of Digitalization: Nature, Forms, and Impact of Cybercrime Against Women", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:12, December 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i12004

Published Date- 03 December 2025